प्रेस नोट

दिनांक 29.09.2024

परिवार परामर्श केन्द्र में 01 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः–

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ो की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 01 जोड़े को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण–

श्री शशि भारती, श्री राजमंगल मौर्या, श्रीमती अनीता श्रीवास्तव, श्रीमती राधा, म0आ0 शाहिना बानों, म0आ0 ज्योति राजभर आदि उपस्थित रही।

मीडिया सेल, गोंडा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.09.2024

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला–फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री सौरभ कुमार वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–651/24, धारा 137(2),351(2),65(1),64(2)एम बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त विशाल विश्वकर्मा पुत्र धनश्याम विश्वकर्मा नि0 सरौनी पश्चिमी पट्टी थाना केराकत जनपद जौनपुर को दुखहरण नाथ मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.08.2024 को थाना को0 नगर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग पुत्री को विपक्षी विशाल विश्वकर्मा बहला–फुसलाकर भगा ले गया है। जो टोरण्ट गैस सर्विस गोण्डा में काम करता है। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 अंगद कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक 29.09.2024 को विशाल विश्वकर्मा को दुखहरणनाथ मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। विवेचना के उपरांत धारा 65(1),64(2)एम बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. विशाल विश्वकर्मा पुत्र धनश्याम विश्वकर्मा नि0 सरौनी पश्चिमी पट्टी थाना केराकत जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–651/24, धारा 137(2),351(2),65(1),64(2)एम बीएनएस व 5एल/6 पाक्सो एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 प्रदीप कुमार गंगवार।
02. का0 बृजेश कुमार पटेल।
03. का0 संजय कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।